



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.  
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited  
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 02.09.2021

No. 2021/HQ/Admin/RTI-851

श्री परमजीत भाटी अधिवक्ता  
चैम्बर न0-814, गली न0-23,  
सिविल कोर्ट सूरजपुर  
जिला गौतमबुद्ध नगर  
उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 09.08.2021, इस कार्यालय में दिनांक 13.08.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्रर  
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,  
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,  
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 01 पृष्ठ

*श्री*  
02/09/2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)  
011-23454707



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.  
(A Government of India Enterprises)

Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved  
Vyaspuri, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

पत्रांक: एम0टी0सी0 / ई0एन0 / आर0टी0आई0 / भाग-8

दिनांक: 23.08.2021

**डिप्टी.जीएम/एडमिन (पीआईओ)**

कॉरपोरेट ऑफिस, डीएफसीसीआई0एल,  
न्यू दिल्ली।

**विषय:** जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** निगम मुख्यालय का पत्र सं0 DFCCIL/HQ/Admin/RTI-851 दिनांक 13.08.2021.

संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी सूचना की जानकारी निम्नवत्त है।

क्रम सं0	आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना	मांगी गयी सूचना की जानकारी
1	उपजिलाधिकारी सदर गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05.02.2019 की प्रेषित प्रतिलिपि आपको कौन सी तिथि को प्राप्त हुई।	मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05.02.2019 की प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी/डिप्टी कलेक्टर गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या 1025/डीएफसीसीआई0एल/2019 दिनांक 18.02.2019 द्वारा प्राप्त हुई।
2	मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05.02.2019 की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आपने उपजिलाधिकारी सदर गौतमबुद्धनगर को अनुपालन हेतु क्या निर्देश दिया।	मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 05.02.2019 के द्वारा उपजिलाधिकारी सदर का आदेश जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा उपजिलाधिकारी सदर गौतमबुद्धनगर को कोई अन्य आदेश जारी करने का अधिकार रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है।
3	आदेश दिनांकित 05.02.2019 की संतुष्टि में आपने क्या किया।	अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में मा0 प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सक्षम प्राधिकारी/डिप्टी कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर का है।

(महवीर सिंह)

उप.परि0 प्रबन्धक/विद्युत (पी.आई.ओ.)  
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ।